



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- टोंक में पुलिस थाना अलीगढ़ के हैड कानिस्टेबल को 13 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 22 मई/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज शनिवार को टोंक कार्यवाही करते हुये पुलिस थाना अलीगढ़ के हैड कानिस्टेबल मीठालाल मीना को परिवादी से 13 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना अलीगढ़, जिला टोंक में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में हैड कानि. मीठालाल मीना द्वारा 25 हजार रुपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मीठालाल मीना पुत्र श्री बजरंग लाल मीना निवासी ग्राम खिदरपुर, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी उखलाना बाईपास, सवाईमाधोपुर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना अलीगढ़, जिला टोंक को परिवादी से 13 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना अलीगढ़ गोविन्द सिंह उपनिरीक्षक ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगाने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।